न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– **02/2015**

मो0 युसुफ वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी मो0 सुसुफ के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा गोपनीय शाखा के ज्ञापांक 686/गो0 दिनांक 27.04.2012 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत भ्रमणशील किरासन तेल विक्रेता ठेला भेंडर है, जिसका अनुज्ञप्ति संख्या– 409/07 है। अपीलार्थी नियमानुसार तथा आदेशानुसार नियम का पालन किये है। कभी भी जानबुझ कर कोई गलती या गैर कानूनी कार्य नहीं किये है। नियमानुसार किरासन तेल उठाव करके नियत स्थान पर वितरण करते आ रहे है। कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं रहा है। अपीलार्थी तेल वितरण करके नियमानुसार वितरण पंजी भंडार पंजी समर्पित करते आ रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा यह कहना है शेष पंजी समर्पित नहीं किया गया है, यह कथन सही नहीं है सरासर गलत है। अपीलार्थी का आगे कथन है अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा ने अपने ज्ञापांक– 68/गो0, दिनांक 27.04.2012 के माध्यम से जुलाई 2010 से सितम्बर 2011 तक वितरण पंजी, भंडार पंजी समर्पित करने हेतु निदेशित किया था, जिस पर अपीलार्थी ने समर्पित क्रर दिया। जिसका छाया संलग्न की जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा ने सभी विन्दुओं पर जॉच करने के उपरान्त अपने पत्रांक 1525/गो0 सपत्र दिनांक 30.07.2014 के माध्यम से अपीलार्थी सहित एक अन्य ठेला भेन्डर मो0 मुस्लिम को निलंबन से मुक्त करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा ने अपने ज्ञापांक 71–2 आ0, सहरसा दिनांक 14.02.2015 के माध्यम से अपीलकर्त्ता को श्रीमान् के न्यायालय में अपील दायर करने हेतु निर्देश दे दिये, जबकि ठेला भेंडर मो0 मुस्लिम को जिला स्तरीय चयन समिति में रख लिया गया है, जिससे वे निलंबन से मुक्त हो जायेगें।

अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा ने अपने पत्रांक 1525 दिनांक 30.07.2014 के माध्यम से अपीलकर्त्ता को निलंबन से मुक्त करने हेतु अग्रसारित किया है। अपीलार्थी अत्यन्त पिछड़ी जाति के सदस्य है। इसी ठेला भंडर के सहारे अपने पूरे परिवार का भरण–पोषण करता थ। निलंबन के कारण सम्पूर्ण परिवार की हालत अत्यन्त दयनीय हो गया है। अपीलकर्त्ता वर्ष 1987 से ही ठेला भेंडर का अनुज्ञप्ति मिला है एवं आज तक किसी प्रकार की काई शिकायत् नहीं है। अंततः अपीलकर्त्ता को निलंबन से मुक्त करने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कथन है अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा ने अपने ज्ञापांक 383/गो0 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2011 तक का वितरण पंजी और भंडार पंजी की मॉग किये। अपीलार्थी द्वारा नवम्बर, दिसम्बर 2010 और मार्च से जुलाई एवं दिसम्बर 2011 तक का वितरण पंजी समर्पित नहीं किया गया। शेष पंजी समर्पित नहीं किया जाना स्पष्टतः आदेश की अवहेलना है। अतः ठेला भेंडर की अपील खारीज योग्य है।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा अपीलार्थी के द्वारा संलग्न पंजियो तथा कागजात का अवलोकन कर सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

9.3.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।

9.3.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 446-2 / विधि, सहरसा, दिनांक–10-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
10.3.17

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा